एम्बुलेन्स (रोगी-यान) सेवाएं
आयुर्विज्ञान प्रभाग भापअ केंद्र
अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094

यह देखा गया है कि कई बार बड़ी संख्या में लोग भापअ केंद्र अस्पताल में एम्बुलेन्स सेवाओं को लेने के लिए संपर्क करते हैं। एम्बुलेन्स सेवाओं हेतु सीएचएसएस हितग्राही एवं गैर सीएचएसएस हितग्राही दोनों ही श्रेणियों के लोगों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। सभी संबंधित व्यक्तियों के हित में एम्बुलेन्स सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना दी जाती है।

एम्बुलेन्स के प्रकार

➢ **प्रकार क-एम्बुलेन्स (साधारण)**

- ये केवल रोगियों को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए हैं।
- इस एम्बुलेन्स में केवल रोगी-सहायक उपलब्ध रहता है।
- इस एम्बुलेन्स में किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं होती है।
- इस प्रकार की एम्बुलेन्स में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होता है।
- इस प्रकार की एम्बुलेन्स में डॉक्टर व नर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं।

➢ **प्रकार ख-एम्बुलेन्स (हृदय रोगियों के लिए)**

- इस एम्बुलेन्स के साथ स्थल तथा स्थानांतरण के दौरान आपाती चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
- इस एम्बुलेन्स में आपाती स्थिति को देखने के लिए 1 डॉक्टर व 1 नर्स उपलब्ध होते हैं।
- इस एम्बुलेन्स में प्राथमिक चिकित्सा उपकरण जैसे वेंटीलेटर, आईवी सुविधा इत्यादि उपलब्ध होते है।

➢ **नोट:**

- सीएचएसएस हितग्राही/ गैर सीएचएसएस हितग्राही व्यक्ति (चिकित्सा विधिक अथवा गैर चिकित्सा विधिक मामले में) की मृत्यु को आवास पर प्रमाणित करना आयुर्विज्ञान प्रभाग के डॉक्टर को अनुज्ञेय नहीं है।
- चिकित्सीय विधिक मामलों में पुलिस, संबंधित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाणन हेतु, डॉक्टर की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है।
- सीएचएसएस डॉक्टर से इस प्रकार के प्रयोजन के लिए वैयक्तिक आधार पर ही अनुरोध किया जा सकता है, नियमानुसार नहीं। गैर चिकित्सीय विधिक मामले में इस प्रयोजन के लिए बेहतर होगा कि प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करें।
- **नियमानुसार एम्बुलेन्स का प्रयोग मृत व्यक्ति को लाने/ले जाने के लिए नही किया जाता है। ऐसे मामले में शववाहिका का प्रयोग किया जाना चाहिए।**

भापअ केंद्र एम्बुलेन्स सेवाएं चलाने हेतु कार्यप्रणाली :

➢ आयुर्विज्ञान प्रभाग द्वारा प्रकार 'क' की एम्बुलेन्स रोगी को स्थल से भापअ केंद्र अस्पताल तक पहुंचाने हेतु ही उपलब्ध करवाई जाती है।

➢ प्रकार क की एम्बुलेन्स बुलाने के लिए भापअ केंद्र अस्पताल के सुरक्षा काउंटर पर संपर्क करें।

➢ भापअ केंद्र अस्पताल से एम्बुलेन्स बुलाने के लिए भापअ केंद्र अस्पताल के सुरक्षा काउंटर के निम्नलिखित नंबर है:

  - **022-25598200**
  - **022-25598308**

➢ केवल सीएचएसएस हितग्राही ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

➢ भापअ केंद्र अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा एम्बुलेन्स भेजने से पहले बुलाने वाले को नाम व दूरभाष संख्या सीएचएसएस नंबर और जिस स्थान से रोगी को लाना है उस क्षेत्र का पता पूछा जाएगा।

- भापअ केंद्र द्वारा आपात स्थिति में रोगी को लाने के लिए भापअ केंद्र अस्पताल से दस किलोमीटर की परिधि में ही एम्बुलेन्स प्रदान की जाती है। (इस संदर्भ में दिनांक 30 नवंबर, 2007 का परिपत्र संदर्भ संख्या: एमडी/एचओयू-12(एटीआर)/04/ 7100. संलग्न है)। आपातकाल में एम्बुलेन्स सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए दस किलोमीटर की दूरी का निर्णय यथोचित दूरी के आधार पर किया गया है।
- आपात स्थिति में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर हितग्राहियों से अनुरोध किया जाता है कि वे एम्बुलेन्स का प्रबंध स्वयं करें।
- यदि भापअ केंद्र अस्पताल में उस समय एम्बुलेन्स मौजूद नहीं होती है तो हितग्राहियों से अनुरोध किया जाता है कि वे किराए पर एम्बुलेन्स अथवा किसी अन्य वाहन द्वारा रोगी को अस्पताल ले आएं।
- भापअ केंद्र के पास दो (2) एम्बुलेन्स हैं। इन एम्बुलेन्सों का प्रयोग रोगियों को भापअ केंद्र अस्पताल से पैनल अस्पतालों में जांच/भर्ती इत्यादि हेतु ले जाने और ले आने के लिए भी किया जाता है।
- रोगियों को भापअ केंद्र अस्पताल से पैनल अस्पतालों में स्थानांतरित करने का सामान्य समय निम्नानुसार 3 पारियों में इस प्रकार है:
  - 08:30 बजे
  - 12:30 बजे
  - 15:00 बजे
- यदि भापअ केंद्र एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध न हो तो कृपया अपने पास आपात स्थिति हेतु अन्य एम्बुलेन्स सेवाओं के भी नंबर रखें।

एम्बुलेन्स पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु

- एम्बुलेन्स पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु, आवेदन प्रपत्र, संबंधित विभाग (भापअ केंद्र अस्पताल/औषधालय में इस प्रकरण हेतु उपचार करने वाले डॉक्टर के विभाग) में प्रमाणपत्र इत्यादि के साथ, (यदि अलग से जारी किया गया हो) जमा किया जाए।
- भापअ केंद्र अस्पताल/औषधालय के नियमित परामर्शदाता डॉक्टर द्वारा यदि अलग से प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तो उसे भी संलग्न करें।
- डॉक्टर/परामर्शदाता, उचित मामलों में, उपर्युक्त उल्लेखित प्रपत्र में अलग से प्रमाणपत्र/ टिप्पणी जारी करेंगे कि रोगी को एम्बुलेन्स द्वारा स्थानांतरित करना आवश्यक था और उन्हें यह भी प्रमाणित करना होगा कि प्रयोग की गई एम्बुलेन्स (साधारण/हृदय संबंधी जैसा उल्लेख किया गया है) का प्रकार आवश्यक था अथवा नहीं।
- कैज्युअल्टी मेडिकल आफिसर और आवासीय चिकित्सा अधिकारी, अंश कालिक डॉक्टर/परामर्शदाता एम्बुलेन्स हेतु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।
- प्रकार-ख एम्बुलेन्स के लिए दस किलोमीटर दूरी वाले क्षेत्रों तथा दस किलोमीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के लिए रोगी/रोगी के संबंधी/परिचर को एम्बुलेन्स का प्रबंध करना चाहिए जिसकी प्रतिपूर्ति जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उसके अनुसार की जाएगी।

मुंबई नगर में एम्बुलेन्स के लिए 1298 डायल करें

सीएचएसएस हितग्राही डायल कर सकते हैं: 022-2559 8200/8038 (सुरक्षा भापअ केंद्र अस्पताल)

डॉ. वी. करीरा, 05/02/20
अध्यक्ष, आयुर्विज्ञान प्रभाग